न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

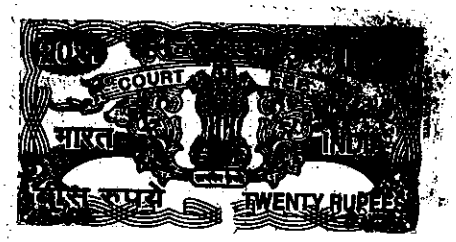

R-3246-II/16

जद्दुननिशा तनया मरहूम अब्दुल हलीम पत्नी मो. मक्की उम्र 58 वर्ष निवासी बाणसागर कॉलोनी तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र. ....निगरानीकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

1— हफीकुन्निशा उम्र 65 वर्ष पत्नी मरहूम असगर अली

2— अनावरूल हक उम्र 40 वर्ष

3— पाले खान उर्फ अंसारूल हक उम्र 28 वर्ष दोनों के पिता मरहूम असगर अली, सभी निवासी मोहल्ला तरहटी टोला तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.

4— मो.वसीम उम्र 25 वर्ष

5— मो.सलीम उम्र 30 वर्ष दोनों की माता रफीकुन निषा तनय मो. हलीम निवासी नीम चौराहा बोदाबाग, तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.

6— कदीरून निशा उम्र 35 वर्ष पुत्री मरहूम असगर अली पत्नी बब्बू अंसारी निवासी मोहल्ला तरहटी तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.

7— अफसाना बेगम उम्र 30 वर्ष पुत्री मरहूम असगर अली पत्नी आशिक खान निवासी मोहल्ला घोघर तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.।

8— श्रीमती सलमा बेगम उम्र 25 वर्ष पुत्री मरहूम असगर अली पत्नी मो. सादिक खान निवासी रीवा तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.

........................गैरनिगरानीकर्ता/गैरपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण (निगरानी) विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र.क. 141/पुर्नविलोकन/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 02.09.2016 अपास्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किए जाने तथा पुनरीक्षण स्वीकार किए जाने बाबत् अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.सन् 1959 ई.

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट

मान्यवर,

संक्षिप्त तथ्यात्मक विवरण —

यह कि गैरनिगरानीकर्ता क्र. 1 के पति द्वारा न्यायालय तहसीलदार के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3246–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–11–2016	आवेदक की ओर से श्री डी0एस0 चौहान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर नो इंस्ट्रक्शन के निर्देश होना बताया। अनावेदक अभिभाषक श्री आर0एस0 सेंगर ने उपस्थित होकर प्रकरण की प्रचलनशीलता पर तर्क किये। अनावेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया। 2/ अनावेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि सर्वप्रथम आवेदक अधीनस्थ न्यायालयों में पक्षकार नहीं थे और उनके द्वारा इस निगरानी प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने बावत प्रथक से आदेश 1 नियम 10 का आवेदन निगरानी के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी तर्क दिया कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के अपील आदेश के विरूद्ध आयुक्त रीवा के समक्ष पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया था जो निरस्त हो चुका है। आवेदक द्वारा पुनः अपर आयुक्त के समक्ष पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया गया था जिसे अपर आयुक्त ने ग्राह्य योग्न न पाते हुये निरस्त किया है। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। पुनर्विलोकन आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और ऐसे आदेश के विरूद्ध निगरानी भी प्रचलन योग्य नहीं है। 3/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा तर्क में बताये दोनों ही सिद्ध होते हैं। प्रकरण के साथ आवेदक द्वारा आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रकिया संहिता का आवेदन प्रस्तुत नहीं है तथा आवेदक द्वारा आयुक्त के पुनर्विलोकन आदेश के	

विरूद्ध इस न्यायालय में पूर्व से अपील प्रचलित होने से इस निगरानी के प्रचलन का कोई औचित्य शेष नहीं है। अतः यह निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होते पाते हुये इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस. एस. अली)
सदस्य